Assistant Chemist
ACH

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Multi Tasking Staff Group C.	89 * (2017) * Subject to variation dependant on workload.	General Central Service (Group C) Non-Gazetted Non-Ministerial	Level -1 in the pay matrix (Rs.18000-56900).	Not applicable.	Between 18 and 25 years .

(7)	(8)	(9)	(10)
Matriculation or equivalent pass from a recognised board OR ITI pass from recognized board as per special requirement of the post.	Not applicable.	Two years.	by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of : 1. The Director - Chairman Standardisation Testing and Quality Certification, Ministry of Electronics and Information Technology 2. Joint Director, - Member Standardisation Testing and Quality Certification, Ministry of Electronics and Information Technology 3. One Under Secretary to the - Member Government of India from a Ministry or a Department other than the Ministry of Electronics and Information Technology	Not applicable.

[F.No. 2(6)/2016-STQC/PA(TB)(pt.)]

U.K. NANDWANI, DG(STQC)

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 जून, 2019

सा.का.नि. 196.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (सहायक रसायनज्ञ) भर्ती नियम, 1994 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में सहायक रसायनज्ञ के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (सहायक रसायनज्ञ) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि -** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनूसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता-** वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को उस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति** – इन नियमों की कोई, बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स मे स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक रसायनज्ञ	23* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर 8 (रु.47,600-1,51,100/रु)	चयन ।	30 वर्ष से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित	**आवश्यक:-** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान/कार्बनिक रसायन विज्ञान /भौतिक रसायन विज्ञान / अकार्बनिक रसायन विज्ञान / विश्लेषण रसायन विज्ञान /कृषि रसायन विज्ञान और मृदा विज्ञान में मास्टर डिग्री । वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या स्वशासी निकाय या सरकारी संगठन से भूमिगत जल विश्लेषण और भूमिगत जल रसायन में दो वर्ष का अनुभव । **टिप्पण 1**: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2**: अनुभव संबंधी अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जतियों और अनुसूचित जनजतियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित

					करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।	रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
(i) आयु: नहीं; (ii) शैक्षिक अर्हताएँ: हाँ ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।	(i) 33 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; (ii) 67 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।

प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (44,900-1,42,400/-रु) में ऐसे ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (रसायन) जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की है और राष्ट्रीय भूमिगत जल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर से चार सप्ताह का प्रवेश स्तर प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमे निम्नलिखित होंगे:- 1 अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड **-अध्यक्ष** 2 सदस्य, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड **- सदस्य** 3 निदेशक या उप सचिव (भूमिगत जल स्थापन), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय **- सदस्य**	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमे निम्नलिखित होंगे:- 1 अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड – अध्यक्ष 2 सदस्य, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड- - सदस्य 3 निदेशक या उप सचिव (भूमिगत जल स्थापन), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय- -सदस्य	

[फा. सं. ए-31012/02/2017-सीजीडब्ल्यूबी]

एस. के. कटारिया, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

New Delhi, the 24 June, 2019

G.S.R. 196.—In exercise of the powers conferred by the provison to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board (Assistant Chemist) Recruitment Rules, 1994, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Chemist in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, namely:-

1. **Short title and commencement**.-(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board (Assistant Chemist) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix**, - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications**.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving**.- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Assistant Chemist.	23*(2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-'B', Gazetted, Non-ministerial.	Level-8 (Rs.47,600-1,51,100/-)	Selection

Age- limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruit	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Proba-tion, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not exceeding 30 years, (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.	**Essential:** Masters Degree in Chemistry /Organic Chemistry/ Physical Chemistry/ Inorganic Chemistry/ Analytical Chemistry/ Agricultural Chemistry and Soil Science from a recognised University or Institute. **Desirable**: Two years experience in Ground Water Analysis and Ground Water Chemistry work from any recognized Institute or autonomous body/Government organisation. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of Union Public Service Commission, for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Age: No; Educational qualifications: Yes.	Two years for direct recruits.

Method of recruitment whether by direct or by promotion or deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grade from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
(i) 33% by promotion; (ii) 67% by direct recruitment.	PROMOTION: Senior Technical Assistant (Chemical) in Level-7(Rs.44,900-1,42,400/-) in the pay matrix with two years' regular service in the grade and have successfully completed four weeks induction level training from National Ground Water Training and Research Institute, Raipur. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such	Group-'B' Departmental Promotion Committee(for considering promotion) consisting of : 1. Chairman, Central Ground Water Board – Chairman; 2.Member, Central Ground Water Board – Member; 3. Director or Deputy Secretary (Ground Water Establishment), Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation– Member. Group-'B' Departmental Confirmation Committee (for considering	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

	qualifying or eligibility service of two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	confirmation) consisting of : 1. Chairman, Central Ground Water Board – Chairman; 2.Member, Central Ground Water Board – Member; 3. Director/Deputy Secretary (Ground Water Establishment), Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation– Member.	

[F.No. A-31012/02/2017-CGWB]

S.K. KATARIA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.07.16 13:32:15 +05'30'